पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश को राष्ट्रपति को संदर्भित किया

लखनऊ: 20 नवम्बर, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2016 को राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया है। इस विधि (संशोधन) अध्यादेश 2016 को 17 अक्टूबर, 2016 को मंत्री परिषद से पास होने के बाद 28 अक्टूबर, 2016 को राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल के समक्ष जारी करने हेतु प्रेषित किया गया था।

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश 2016 द्वारा नगर निगमों के महापौरों तथा नगरपालिकाओं के अध्यक्षों से नगर निगमों और नगर पालिकाओं के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के निदेशक में निहित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

अध्यादेश के परीक्षण के उपरान्त श्री राज्यपाल ने पाया कि अध्यादेश द्वारा प्रस्तावित संशोधनों से न केवल नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं जैसी स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्वायत्तता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है अपितु प्रस्तावित संशोधन लोकतंत्र की मूल अवधारणा तथा संविधान के प्रावधानों के भी विरूद्ध है।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार महापौरों और अध्यक्षों में निहित है। 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने स्थानीय स्व-शासन की अवधारणा को मजबूत किये जाने के आशय से संविधान में एक नया भाग '9-क' जोड़ा था, जिसके द्वारा नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों को स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में भी राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में संशोधन किये जाने हेतु 'उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2015' एवं 'उत्तर प्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2015' राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित करवाकर राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रेषित किया था। उक्त दोनों विधेयकों के द्वारा राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन करवाते हुए उनमें यह प्रावधान करना चाहा था कि नगर निगमों के महापौरों तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के विरूद्ध कुप्रशासन आदि की शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार उनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ राज्य सरकार के अधिकारियों में निहित कर देगी और नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को दूसरे नगर निगमों और नगर पालिकाओं में राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकेगा। राज्यपाल ने उक्त दोनों विधेयकों पर अपनी अनुमति प्रदान नहीं की थी, अपितु विधेयकों को संविधान के भाग 9-क के प्रावधानों के विरूद्ध पाते हुए उन्हें 4 मई, 2016 को राष्ट्रपति के विचारार्थ राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया था।

अंजुम/ललित/राजभवन (425/21)